रजिस्ट्री सं॰ डी॰ एल॰-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 255] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 29, 2004/कार्तिक 7, 1926

No. 255] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 29, 2004/KARTIKA 7, 1926

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(अल्पसंख्यक प्रभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 2004

सं. 1-11/2004-एमसी (डी).—जबकि भारत सरकार सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों की कल्याण संबंधी जरूरतों के प्रति वचनबद्ध है;

2. और जबकि धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ों की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित करने एवं उनके कल्याण के लिए सुझाव देने के लिए एक विस्तृत परीक्षण की आवश्यकता होगी;

3. अत: अब भारत सरकार ने अध्यक्ष की नियुक्ति की तिथि से छ: महीने की अवधि के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का संकल्प किया है जो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अपनी अनुसंशाएं देगा।

4. प्रस्तावित आयोग के विचारार्थ विषय इस प्रकार है:

(क) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मानदंडों का सुझाव देना;

(ख) धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए उपायों की सिफारिश करना जिसमें शिक्षा और रोजगार में आरक्षण शामिल है;

(ग) इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए यथा अपेक्षित आवश्यक संवैधानिक, कानूनी और प्रशासनिक तौर-तरीकों का सुझाव देना; और इनके विचार-विमर्श और सिफारिशों की रिपोर्ट को प्रस्तुत करना;

आयोग अपनी सिफारिशें देगा और 6 महीनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

5. आयोग में अध्यक्ष, तीन सदस्य एवं एक सदस्य-सचिव होंगे। अध्यक्ष एवं सदस्यगण को धार्मिक एवं भाषायी अल्पसंख्यकों के सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं की भली भांति जानकारी होनी चाहिए। सदस्यों में से एक को विधिक एवं संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। सदस्य-सचिव को प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए।

6. आयोग किसी प्राधिकारी, संगठन या व्यक्ति से ऐसी सूचनाएं प्राप्त करेगा जो वह विषय के लिए आवश्यक समझे या विषय से संबंधित हो।

7. आयोग अपनी स्वयं की कार्यप्रणाली अपना सकता है और भारत के किसी भी भाग में आवश्कता होने पर जा सकता है।

8. आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

9. आयोग अपनी रिपोर्ट छ: महीने की अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा।

सपना राय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Minorities Division)

RESOLUTION

New Delhi, the 29th October, 2004

No. 1-11/2004-MC (D).—Whereas the Government of India has been seized of the welfare needs of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities;

2. And whereas a detailed examination would be required to determine the criteria for identifications of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities and to suggest measures for their welfare;

3. Now, therefore, the Government of India has resolved to constitute a National Commission for a period of 6 months from the date of appointment of the Chairperson, to recommend measures for welfare of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities.

4. The Terms of Reference of the National Commission are as follows:

(a) to suggest criteria for identification of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities;

(b) to recommend measures for welfare of socially and economically backward sections among religious and linguistic minorities, including reservation in education and government employment;

(c) to suggest the necessary constitutional, legal and administrative modalities, as required for the implementation of their recommendations;

and to present a Report of their deliberations and recommendations.

5. The Commission shall consist of a Chairperson, 3 Members and a Member-Secretary. The Chairperson and Members will be persons of ability, who should have knowledge of socio-economic problems of religious and linguistic minorities. One of the Members should be an expert in legal and constitutional matters. The Member-Secretary should have administrative experience.

6. The Commission shall obtain such information, as it may deem necessary or relevant to the subject matter from any authority, organization or individual.

7. The Commission may adopt its own procedure of working and may visit any part of India as and when considered necessary.

8. The Headquarters of the Commission shall be in New Delhi.

9. The Commission shall submit its Report within a period of six months.

SWAPNA RAY, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.